संख्या-9/2015/3952/71-2-14-18/2012

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0,लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 20 जनवरी, 2015**

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2014/522 दिनांक 12-11-2014 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-2713/71-2-14-18/2012 दिनांक 22 अगस्त, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 25,00,00,000/- के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से रू0 8,50,00,000/- (रूपया आठ करोड़ पचास लाख मात्र) को निम्नानुसार अवमुक्त किये जाने श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0	संस्था का नाम	धनराशि (लाख में)
1	के0जी0एम0यू0, लखनऊ।	200.00
2	डा0 रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।	200.00
3	एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।	250.00
4	हृदय रोग संस्थान, कानपुर।	200.00
	योग-	850.00

2- उक्त शासनादेश दिनांक 22 अगस्त, 2014 में उल्लिखित शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीक़त की जा रही धनराशि बैक/पी0एल0/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

4- वित्त बजट-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-7-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- धनराशि को कोषागार से संबंधित वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

6- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-122/दस-2015, दिनांक 19 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

ऋषिकेश दुबे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-9/2015/3952(1)/71-2-14-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. वित्त अधिकारी, महानिदेशालय, चि0शि0 एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
4. संबंधित संस्थानों के वित्त अधिकारी।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।